

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 01/25

दायरा दिनांक 21.01.2025

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-मोहनचन्द उम्र 50 वर्ष पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 2-कैलाश उम्र 45 वर्ष पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 3-प्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 4-सत्तो उम्र 42 वर्ष पुत्री पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 5-नवलो उम्र 70 वर्ष पत्नि पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

वादीगण

बनाम

- 1-मानू पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 2-रामजीलाल पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 3-हीरालाल पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 4-जामन्ती पुत्री भूरा पत्नि कल्लू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल हाल निवासी घेंसुवा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 5-अजुद्धी पत्नि भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोट
- 6-रमुआ पुत्र सोडू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोट
- 6/1 बृजलाल पुत्र रमुआ जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 6/2 रुकमणी पुत्री रमुआ पत्नि पप्पू जाति कोली निवासी हाल अजरोंडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 6/3 रामवती पुत्री रमुआ पत्नि प्रेमचन्द जाति कोली निवासी हाल किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान
- 7-माखो पुत्री सोडू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोट
- 7/1 दयाराम पुत्र किशना जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 7/2 भागवती पुत्री किशना पत्नि खच्चू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 7/3 रबूदी पुत्री किशना पत्नि गब्बू जाति कोली निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोट



13.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

- 7/3/1 रामजीलाल पुत्र गब्बू जाति कोली निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 7/3/2 भिनिया पुत्री गब्बू पत्नि मनफूल जाति कोली निवासी अजरोंडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 8-पांचो पुत्री सोडू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान लाओलाद फोट
- 9-मन्नू पुत्र खैरू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 10-मंगल पुत्र खैरू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 11-माखन्दी पुत्री खैरू पत्नि श्रीलाल जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 12-छोटी पत्नि खैरू पत्नि श्रीलाल जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोट
- 13-बुद्धू पुत्र नत्थू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 14-चिरोंजीलाल पुत्र नत्थू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 15-साबू पत्नि पुत्र नत्थू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 16-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट

अंतिम निर्णय दिनांक- 13.06.2025

उपस्थित -

वादीगण की ओर से-श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 1 ता 4, 13 की ओर से-श्री धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 6/2,6/3,9,10,11,14,15 की ओर से-श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 6/1,7/1,7/2,7/3/1,7/3/2 की ओर से-एकपक्षीय

प्रतिवादी क्रम 16 की ओर से-पेरोकार सरकार

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2025 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 39 रकबा 0.14 बीघा व आराजी ख0नं0 466 रकबा 1.16 बीघा कित्ता 2 कुल रकबा 2.10 बीघा ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद में से वादीगण हिस्सा 1/2 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 07.05.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे वादीगण ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

| क्र.सं. | काश्तकार का नाम | ख.सं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|------|
| 1- | मोहनचन्द कैलाश प्रकाश पुत्र सन्तो | 39/1 | 0.07 बीघा | बा.तृ. | 0.15 |

13.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

पुत्री नवलो बेवा भंवरा हि.बरा. कोम
कोली सा.देह

उत्तर पूर्व
466/1 0.18 बीघा बा.1 0.72
उत्तरी

किता 2 रकबा 1.05 बीघा

| क.सं. | काश्तकार का नाम | ख.सं. | रकबा | किस्म | लगान |
|-------|--|-------|-----------|--------|------|
| 2- | मानू रामजीलाल हीरा पुत्र जामन्ती | 39 | 0.07 बीघा | बा.तृ. | 0.16 |
| | पुत्री अजुद्धी बेवा भूरा हि.1/10 रमुआ | | | | |
| | पुत्र व माखो पांची पुत्री सोडु हि.3/10 | 466 | 0.18 बीघा | बा.1 | 0. |
| | हि.बरा. मन्नू मंगल पुत्र खैरू माखन्दी | | | | |
| | पुत्री खैरू छोटी बेवा खैरू हि. 2/25 | | | | |
| | हि.बरा. बुद्धू चिरोंजीलाल पुत्र नत्थु | | | | |
| | साबू बेवा नत्थु हि.1/50 हि.बरा. | | | | |

किता 2 रकबा 1.05 बीघा

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 39 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 466 रकबा 1.16 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.10 बीघा में से वादीगण हिस्सा 1/2 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है, उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादीगण को विभाजित हिस्सा 1/2 पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के विभाजित हिस्सा 1/2 पर कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

13.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद